दिनांक 29.04.2025 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

संपत्तिकर जमा करने मात्र 1 दिन शेष, समय पर जमा नहीं करने पर लगेगा अतिरिक्त अधिभार

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में संपत्तिकर जमा करने मात्र 1 दिन शेष है। जो भी भवन, भूस्वामी, दुकान मालिक हैं। जिन्होने अभी तक अपने बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किए है। वे जल्द से जल्द अपने संपत्तिकर की राशि जमा कर दें, नही तो अतिरिक्त अधिभार लगेगा। करदाताओं के मांग पर अब निगम भिलाई के संपत्तिकर काउंटर सुबह 8 बजे से खुले हैं। जिससे करदाताओं को बढ़ती गर्मी से राहत मिल सके। साथ ही जो करदाता वर्ष 2025–26 का संपत्तिकर अभी जमा करते हैं, उन्हे 6.25 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने क्षेत्र के नागरिको से अपील किए है कि अपना बकाया करों की राशि जल्द ही जमा कर देवें। वर्ष 2024–25 के बकाया संपत्तिकर 1 मई से जमा करने पर 18 प्रतिशत अधिभार और 1000 पेनाल्टी शुल्क लगेगा 1 दिन शेष है। साथ ही निगम के संपत्तिकर वसूली एजेंसी के कर्मचारी डोर–टू–डोर नागरिको के घर पर जाकर भी बकाया कर की वसूली कर रही है। उन्हे भी संपत्तिकर की राशि देकर उनसे रसीद प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक जल्द ही अपने बकाया कर की राशि जमा कर लगने वाले अतिरिक्त अधिभार से बच सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए नगर निगम भिलाई के संपत्तिकर विभाग में संपर्क किया जा सकता है।